आयोजन पब्लिक हेल्थ रिसोर्स सोसायटी और रायगढ़ जन चेतना मंच के वर्कशॉप में दी गई नर्सिंग होम एक्ट की जानकारी

नर्सिंग एक्ट में लोगों को मिले अधिकारों को बताया

[illegible] रिपोर्टर | रायगढ़

गुरुवार को स्टेशन चौक स्थित पंचायती धर्मशाला में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाए गए नर्सिंग होम एक्ट 2010 की जानकारी देने के लिए प्रदेश की राजधानी रायपुर की पब्लिक हेल्थ रिसोर्स सोसायटी और रायगढ़ जन चेतना मंच के द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जिसमें भारी संख्या में तमनार, पूंजीपथरा और शहर सहित अन्य क्षेत्रों के ग्रामीण भारी संख्या में वर्कशॉप में शामिल हुए।

जिले में नर्सिंग होम एक्ट के नियमों से अवगत कराया गया। पब्लिक हेल्थ रिसोर्स सोसायटी टीम की ओर से अभिजीत मोरे और दीपिका जोशी पहुंचे थे। वहीं रायगढ़ जन चेतना मंच की ओर से राजेश त्रिपाठी और सविता रथ शामिल हुए। इन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे ग्रामीणों को नर्सिंग होम एक्ट की जानकारी दी गई। पिछले दो सालों से पूरे प्रदेश में शासन द्वारा नर्सिंग होम एक्ट लागू किया गया है, लेकिन इस कानून का पालन किसी भी निजी क्लिनिक संचालकों द्वारा नहीं किया जाता। वहीं आम जनता भी इससे अंजान है। इसके चलते निजी क्लिनिक संचालकों की मनमानी चरम पर है। नर्सिंग होम एक्ट की जानकारी देने के लिए रायपुर की पब्लिक हेल्थ रिसोर्स सोसायटी के द्वारा प्रदेश के 10 से भी अधिक जिले के लोगों में जागरूकता लाने के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को रायगढ़ जिले में शहर के स्टेशन चौक स्थित पंचायती धर्मशाला में इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए थे। पब्लिक हेल्थ रिसोर्स रायपुर से पहुंचे अभिजीत मोरे और दीपिका जोशी ने नर्सिंग होम एक्ट की विस्तृत जानकारी दी।

इसमें नर्सिंग होम एक्ट के लिए बनाए गए कानून, पंजीयन कराने की पद्धति, लाइसेंसीकरण की प्रक्रिया, कानून में पारदर्शिता संबंधी जानकारी, इस कानून का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जानकारी, मरीजों को लाभ नहीं मिलने पर शिकायत करने की जानकारी, मरीजों का अधिकार सहित अन्य जानकारियां विस्तार से दी गईं। वर्कशॉप में शामिल होने पहुंचे ग्रामीणों के लिए जन चेतना मंच की ओर से भोजन की भी व्यवस्था की गई थी।

वर्कशॉप के दौरान ग्रामीणों को जानकारी देते विशेषज्ञ।

सामूहिक मानिटरिंग की उठी बात

कार्यशाला उपस्थित प्रतिनिधि।

रायगढ़ @ पत्रिका

patrika.com/city

प्रदेश में नर्सिंग होम एक्ट के पालन के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन शहर के धनवंती धर्मशाला में किया गया। इस आयोजन को सामाजिक संस्था जनचेतना के सहयोग से पब्लिक हेल्थ रिसोर्स सोसायटी ने किया था। इस वर्कशॉप में लगभग सौ की संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। इस वर्क शॉप में शामिल होने आए प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रदेश में नर्सिंग होम एक्ट का लागू किया जाना बेहतर प्रयास है। लेकिन इस कानून के क्रियान्वयन में काफी अड़चनें देखी जा रही है।

ऐसे में इस एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए सामुदायिक मानिटरिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसका फायदा यह होगा कि आम आदमी इस एक्ट से जुड़ेगा और उसकी नजर इसपर होगी। किस अस्पताल में कौन से प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है इसकी मानिटरिंग हो सकेगी।

431 आवेदन 131 को परमिशन

आयोजन कर्ता राजेश त्रिपाठी ने बताया कि इस वर्कशॉप में यह बात भी उठी कि जिले में इस एक्ट के तहत 431 आवेदन आए हैं। ऐसे में 131 को परमिशन दिया जा सका है। इसका अर्थ है कि जिले में इस एक्ट के प्रावधानों के पालन अधिकांश नर्सिंग होम संचालित नहीं हो रहे हैं। वहीं सविता रथ ने बताया कि जिले के सभी अस्पतालों चाहे वह निजी हो या फिर सरकारी सभी की जांच की जानी चाहिए। जिससे एक्ट का पालन किया जा सके।

पत्रिका

कांकेर, रविवार, 22 फरवरी 2015

14

नर्सिंग होम कानून पर हुई कार्यशाला

कांकेर. सेवा समाज भवन में शुक्रवार को नान प्रॉफिट पब्लिक हेल्थ रिसोर्स नेटवर्क द्वारा क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 व नर्सिंग होम कानून 2010 पर सहभागी समाज सेवी संस्था द्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य गैर सरकारी संस्थाओं एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को नर्सिंग होम कानून से अवगत कराना था। इस अवसर पर संस्था व गैर सरकारी संस्थान से जुड़े लोग उपस्थित थे।

कार्यशाला | समाज सेवी संस्था सहभागी ने नर्सिंग होम एक्ट की जानकारी दी

सुई को पानी में धोने पर जताई चिंता

भास्कर न्यूज | कांकेर

कांकेर. सहभागी द्वारा आयोजित कार्यशाला में दी गई नर्सिंग होम एक्ट की जानकारी।

छत्तीसगढ़ में कार्यरत नान प्रॉफिट पब्लिक हेल्थ रिसोर्स नेटवर्क द्वारा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 या नर्सिंग होम कानून 2010 पर सहभागी समाजसेवी संस्था कांकेर द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य गैर सरकारी संस्थाओं एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को नर्सिंग होम कानून से अवगत कराना एवं उसके बारे में जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त कर कहा आज भी कई डाक्टर सुई को गर्म पानी में धोकर बार-बार उपयोग करते हैं जिससे एचआईवी एवं अन्य बीमारियों के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।

कार्यशाला में बताया गया कि छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम कानून अंतर्गत राज्य में क्लिनिक-डाक्टर-नर्सिंग होम अस्पतालों, जांच केंद्रों को पंजीकृत करके लाइसेंस प्राप्त करना होगा जिसके बिना उन्हें संचालन की अनुमति नहीं होगी। कानून में मरीजों के अधिकारों का भी प्रावधान है जिसका पालन नहीं करने पर जनता द्वारा शिकायत की जा सकती है। इससे अस्पतालों, जांच केन्द्र, नर्सिंग होम का लाइसेंस रद्द हो सकता है। कांकेर जिला में कुल 7 अस्पतालों को अस्थायी लाइसेंस मिल चुका है। कार्यक्रम में सीएमएचओ कार्यालय से अखिलेश चोपड़ा तथा जिला अस्पताल से मिथलेश मोहनकर उपस्थित थे। उन्होंने जिले में कानून के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में सहभागी समाजसेवी संस्था के कार्यकर्ता संस्था प्रमुख गोपीनाथ, संस्था सचिव कल्याणी, संस्था समन्वयक मधुसूदन नेता, होमेश्वर ठाकुर, पुष्पेन्द्र सिन्हा, धनेश्वरी साहू ने योगदान दिया।

ग्रामीण क्षेत्रों के मानदंड अलग हों। उपस्थित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने कहा कि कानून में दर प्रदर्शन और दर नियंत्रण का प्रावधान भी होना चाहिए। जनस्वास्थ्य अभियान कार्यकर्ताओं द्वारा मांग रखी गई कि कांकेर जैसे दूरस्थ ग्रामीण इलाकों के लिए अलग मानक एवं मापदंड होने चाहिए तथा अन्य प्रगतिशील प्रावधान जैसे शुल्क नियंत्रण शुल्क प्रदर्शन का नियम भी लागू चाहिए।